



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/93/2019-20
सेवा में,

04 मार्च, 2020

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री मामचन्द निवासी ग्राम मवीकलां पोस्ट काठा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश का 24.02.2020 का पत्र इस सचिवालय में 28.02.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रुपये का पो.आ. सं. 48एफ 073490 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को 21.01.2020 को प्रेषित अपने पत्र जोकि इस सचिवालय में 25.01.2020 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे इस सचिवालय द्वारा 11.02.2020 को श्रीयुत पुलिस अधीक्षक, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश को उचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया था (सच्ची प्रतिलिपि संलग्न है), पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है, चूंकि इनके द्वारा मांगी गई सूचना की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री सचिन कुमार पुत्र श्री मामचन्द निवासी ग्राम मवीकलां पोस्ट काठा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

ग/स
Narain
11/3/20

सेवा में,

35
श्री मान रावदास आदव
गडहिल्ली-110001

विषय: प्रार्थी द्वारा दिये गये दिनांक 21.01.2020 पर की गयी कार्यवाही का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सत्यापित छायाप्रति प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

प्रार्थी ने दिनांक 21.01.2020 को लिखित प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था। (छायाप्रति संलग्न) परन्तु काफी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हो पायी है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करनी है—

1. यह कि प्रार्थी के संलग्न प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं।
2. यह कि यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो क्या की गयी है? उसकी पठनीय सत्यापित छायाप्रति दी जाये।
3. यह कि यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो किस अधिकारी/कर्मचारी के त्तर पर लम्बित है, का पूर्ण विवरण पदनाम सहित।

उक्त सूचना दिये जाने हेतु अंकन 10 रुपये का भा0पो0आर्डर सं0.48F073490 दिनांक 24/2/2020 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार कर नियम अधि के अन्दर वांछित सूचना देने का कष्ट करें।

संलग्नक—

1. दिनांक 21.01.2020 में दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति।
2. भा0पो0आर्डर सं0.48F073490 दिनांक 24/2/2020 मूल रूप में।

प्रार्थी

सचिन कुमार पुत्र श्री मामचन्द
निवासी ग्राम मवीकलां पोस्ट काठा
जनपद बागपत। पिन-250609
मो0-7982260852

११. ११ ३४१८८८८ ११८९
 १० ११११ ११००१

विषय: प्रार्थी सचिन कुमार (सी०आर०पी०एफ० का भूतपूर्व सिपाही) को पुलिस थाना ज्योति नगर शाहदरा दिल्ली में इन्स्पेक्टर मालता बानी के समक्ष पिटाई करवाने के सम्बन्ध में शिकायत पत्र व आर०टी०आई० का सही जवाब न देने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि प्रार्थी सचिन कुमार पुत्र श्री मामचन्द निवासी ग्राम मवीकलां पोस्ट काठा जनपद बागपत उ०प्र० का निवासी है। प्रार्थी ने दिनांक 27.09.2019 को फोन द्वारा झगडे कीसूचना थाना ज्योतिनगर को दी थी, की गयी काल्स का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	किस नम्बर पर कॉल की	समय
1	100	10:56 AM
2	100	11:12 AM
3	100	11:20 AM
4	थाना ज्योतिनगर पुलिस कर्मचारी से बात	11:23 AM
5	9746502763 पर पुलिस कर्मचारी से बात	11:29 AM
6	100	11:37 AM
7	9746502797 पर पी०सी०आर० पुलिस कर्मचारी से बात	2:00 PM

थाना ज्योतिनगर पुलिस ने प्रार्थी की सुनवाई न करके उल्टा प्रार्थी के ससुर रामपाल स्वामी व उसके छोटे भाई कृष्ण स्वामी निवासी गण डी.533/6 अशोक नगर, शाहदरा दिल्ली व दो अन्य (1. विपिन त्यागी व 2. विपिन त्यागी का छोटा भाई नाम नामालूम) से मिलकर सभी ने प्रार्थी को एक साथ मिलकर दिनांक 27.09.2019 को ज्योति नगर पुलिस थाना शाहदरा में इन्स्पेक्टर गालता बानी के सामने थाने के अन्दर बन्द कमरे में पीटा था। इसके बाद थाना पुलिस ने प्रार्थी का मैडिकल जी0टी0बी0 अस्पताल में करवाया था। उक्त के विषय में प्रार्थी ने प्रार्थी की मैडिकल रिपोर्ट व थाने पर विवश होकर किये गये समझौते की सत्यापित छायाप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गयी थी परन्तु दिल्ली पुलिस प्रार्थी को उक्त वांछित सूचनायें नहीं दे रही है। विपक्षी गण आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं जो पैसे के दम पर प्रार्थी की सारी कार्यवाही को दबा-देते हैं। प्रार्थी ने उक्त के सम्बन्ध में कई पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित किये हैं परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	किसे प्रेषित की गयी	डाक का रजि० नम्बर
1	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	RU556634691IN
2	ज्योति नगर थाना से आर०टी०आई० मांगी	RU255728641IN

3	कमिश्नर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आर0टी0आई0 का जवाब मांगा	RU556622185IN
4	जी0टी0बी0 अस्पताल से आर0टी0आई0 मांगी	RU572784377IN
5	आलोक कुमार वर्मा, कमिश्नर, दिल्ली पुलिस से आर0टी0आई0 मांगी	RU556622185IN
6	मानवाधिकार आयोग भारत सरकार	RU572784385IN
7	कमिश्नर, दिल्ली पुलिस को आर0टी0आई0	RU517587460IN

महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी को बेकसूर होते हुए भी मारा मारा पीटा गया और अब प्रार्थी की आवाज दबाई जा रही है। प्रार्थी झगडा होने पर थाने की शरण में न्याय हेतु गया था जबकि उल्टा विपक्षीगणों से मिलकर इन्स्पेक्टर मालता बानी ने प्रार्थी के मारपीट करवायी गयी जिसका विडियो भी बनाया गया था और प्रार्थी को सबके सामने मजाक उड़ाया जा रहा था जिससे प्रार्थी को काफी गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। प्रार्थी न्याय पाने के लिए दरबंदर की ठोकरे खा रहा है परन्तु विपक्षीगणों ने पैसों के दम पर प्रार्थी की कार्यवाही को दबा रखा है और सबके मुंह बन्द कर रखे है।

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी हर तरफ से निराश होकर आपकी शरण में आया है। कृपया पूरे मामले की गहनता से जांच कराकर प्रार्थी को न्याय दिलाया जाये। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक—

Not= प्रार्थी को विपक्ष से जान-माल का खतरा लक्षित हुआ है और दिल्ली पुलिस विभाग से भी प्रार्थी को खतरा है।

प्रार्थी 21/01/2020

सचिन कुमार पुत्र श्री मामचन्द
निवासी ग्राम मवीकलां, पोस्ट काठा
जिला बागपत (उ0प्र0)
मौ0-7982260852